दर्शन सिंह मोही बनाम द स्टेट ऑक्स पंजाब और अन्य
(एमआर अग्निहोत्री, जे.)

मुझे पता है कि ये सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित संहिता के प्रावधानों के साथ असंगत थे। नियमों की वैधता को श्रीमती में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा बरकरार रखा गया था। चंद कौर बनाम जंग सिंह और अन्य (1), और यह इस प्रकार आयोजित किया गया था: -

> "उपरोक्त कारणों से, 25 मार्च, 1975 को इस न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित संहिता के ओ. 22 के आर. 4 से उप-नियम (3), संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित संहिता के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है और परिणामस्वरूप निरस्त नहीं होता. इसलिए, आवेदन में कोई दम नहीं है और यह खारिज किए जाने योग्य है। मैं तदनुसार ऑर्डर करता हूं। मामले को अब नियमित अपील पर निर्णय लेने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकता है।"

आवेदकों को यह आग्रह करने में बहुत देर हो चुकी है कि अपील निरस्त कर दी गई है। इसके अलावा, इस न्यायालय द्वारा किए गए संशोधन के मद्देनजर यह आपत्ति अब तर्कसंगत नहीं है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस न्यायालय द्वारा किए गए प्रतिस्थापन और परिवर्धन को ध्यान में रखते हुए, आवेदन खारिज किया जाता है। आवेदन अपने पिता की मृत्यु के बाद 18 वर्षों से अधिक समय तक विवादित भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के डिक्रीधारकों के प्रयास को विफल करने में सफल रहा है। पार्टियों के बीच घनिष्ठ संबंध के कारण. मैं उत्तरदाताओं को आवेदन की लागत नहीं दे रहा हूं। अन्यथा, झूठी और तुच्छ आपत्तियां उठाने के लिए आवेदकों का आचरण निंदा के योग्य है और उनके खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

एससीके

पहले: एमआर अग्निहोत्री और। एनके सोढ़ी, जे.जे.

दर्शन सिंह मोही बनाम द स्टेट ऑक्स पंजाब और अन्य
(एमआर अग्निहोत्री, जे.)

दर्शन सिंह मोहत,-याचिकाकर्ता।

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

*सिविल रिट याचिका संख्या*1991 का 12317

4 दिसंबर 1991.

*पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम,*1930 पीएल 'एन - भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226 और 356—पीसीएस के लिए नामांकन

(1) एआईआर 1979 (पी एंड एच) 16.

*(कार्यकारी शाखा) द्वितीय और तृतीय श्रेणी के मंत्रालयिक कर्मचारियों में से - वित्तीय आयुक्तों को लोक सेवा आयोग द्वारा विचार के लिए एक-एक उम्मीदवार को नामांकित करने की अनुमति देने वाले नियम - वित्तीय आयुक्त उत्पाद शुल्क और कराधान के कार्यालय में कार्यरत याचिकाकर्ता - पीठासीन अधिकारी, बिक्री कर न्यायाधिकरण द्वारा किया गया नामांकन खराब है— एसटीटी का पीओ एफसी के पद पर होते हुए भी स्वतंत्र प्रदर्शन कर रहा है*अर्ध-न्यायिक कार्य-याचिकाकर्ता को वित्तीय आयुक्त के अधीन काम करने वाला नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, उसे अपना नाम पीपीएससी को भेजने का कोई अधिकार नहीं है।

*आयोजित,*याचिकाकर्ता वित्तीय आयुक्त सचिवालय की उत्पाद शुल्क और कराधान शाखा में कार्यरत है, जो वित्तीय आयुक्त, कराधान और सचिव, पंजाब सरकार, उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के नियंत्रण में है, न कि पीठासीन अधिकारी, बिक्री कर न्यायाधिकरण के अधीन है। . याचिकाकर्ता के संबंध में श्री हरि राम, आईएएस द्वारा की गई सिफारिशें उपरोक्त नियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं और, इस प्रकार, उनकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और विचार के लिए पंजाब लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा जा सकता है। चूँकि वर्तमान मामले में, श्री हरि राम, आईएएस, जो पहले वित्तीय आयुक्त के कार्यालय का कार्यभार संभाल रहे थे और उसका निर्वहन कर रहे थे, अब बिक्री कर न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी का पद संभाल रहे हैं, वे अब इसके प्रभारी नहीं हैं वित्तीय आयुक्त का कार्यालय या सचिवालय। वह क़ानून द्वारा बनाए गए एक स्वतंत्र अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी का पद संभाल रहे हैं, जो कि पंजाब जनरल सेल्स टैक्स अधिनियम, 1948 की धारा 3-ए है। इसलिए, यह कहना गलत होगा कि याचिकाकर्ता काम कर रहा है। पीठासीन अधिकारी, बिक्री कर के कार्यालय में! ट्रिब्यूनल, या इसके अधीनस्थ किसी भी कार्यालय में, वित्तीय आयुक्त सचिवालय किसी भी तरह से बिक्री कर ट्रिब्यूनल, पंजाब के कार्यालय के अधीनस्थ कार्यालय नहीं है।

(पैरा 3 एवं 4)

*अनुच्छेदों के अंतर्गत सिविल रिट याचिका*भारत के संविधान के 226/227 में प्रार्थना की गई है कि मामले का पूरा रिकॉर्ड तलब करने का आदेश दिया जाए और उसके अवलोकन पर यह माननीय न्यायालय जारी करने की कृपा करे: -

(i) *की प्रकृति में एक रिट*1976 के नियमों के प्रावधानों के अनुसार पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में विचार करने और नियुक्त

करने के लिए उत्तरदाताओं नंबर 1 को याचिकाकर्ता का नाम प्रतिवादी नंबर 2 को अग्रेषित करने का निर्देश देने वाला परमादेश;

(ii) इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में यह माननीय न्यायालय कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने में प्रसन्न हो सकता है जो वह उचित समझे;

*(नमस्ते) कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी नं.*2. रजिस्टर ए-II से पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने से रोका जाए या वैकल्पिक रूप से एक पद याचिकाकर्ता के लिए आरक्षित किया जाए;

(iv) उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के तहत प्रतिवादियों को अग्रिम नोटिस जारी करने की कृपा से छूट दी जा सकती है;

(v) कृपया अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट दी जाए;

(vi) कृपया याचिका की लागत याचिकाकर्ता को प्रदान की जाए।

याचिकाकर्ता के वकील पीएस पटवालिया।

श्रीमती एसके भाटिया, उप महाधिवक्ता। पंजाब, प्रतिवादी के लिए।

निर्णय

एमआर अग्निहोत्री, जे.

याचिकाकर्ता वित्तीय आयुक्त सचिवालय में तृतीय श्रेणी सेवा का स्थायी सदस्य है और वर्तमान में वित्तीय आयुक्त, पंजाब के कार्यालय में अधीक्षक के पद पर वर्ग आईटी सेवा का अस्थायी सदस्य है। उस आधार पर, वह पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) वर्ग I नियम, 1976 द्वारा शासित राज्य की प्रथम श्रेणी सेवा, पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में नामांकित होने के लिए पात्र है। इन नियमों के तहत, विभिन्न तरीके विभिन्न रजिस्टरों पर उम्मीदवारों के नाम लाकर, सेवा में भर्ती की सुविधा प्रदान की गई है, उदाहरण के लिए, तहसीलदारों और नायब-तहसीलदारों में से पदोन्नति के लिए रजिस्टर एएल:

रजिस्टर ए-द्वितीय: तृतीय श्रेणी सेवा के स्थायी सदस्यों के नामांकन द्वारा और मंत्री स्तर की नियुक्तियाँ रखने वाले वर्ग II के सदस्यों के रूप में अस्थायी रूप से सेवा करना रजिस्टर A-III; उत्पाद शुल्क एवं कराधान अधिकारियों में से पदोन्नति के लिए। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी; रजिस्टर-बी: खुली प्रतियोगिता आयोजित करके सीधी भर्ती द्वारा; और रजिस्टर-सी: राज्य के मामलों के संबंध में सेवारत अधिकारियों/अधिकारियों में से उम्मीदवारों को स्वीकार करके, जो अन्यथा उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। जहां तक अस्थायी रूप से द्वितीय श्रेणी सेवा धारण करने वाले तृतीय श्रेणी सेवा के आधिकारिक सदस्यों के नामांकन का संबंध है, वैधानिक नियमों के नियम 10 में प्रावधान किया गया है, जिसे यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> "10(1) नीचे दी गई तालिका के पहले कॉलम में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकारी इन नियमों से जुड़े फॉर्म I में सरकार को उतनी संख्या में व्यक्तियों की नामांकन सूची प्रस्तुत कर सकते हैं जितनी दूसरे कॉलम में प्रत्येक मामले में निर्दिष्ट है।

(ऐ. के. अग्निहोत्री, जे.)

उक्त तालिका में द्वितीय श्रेणी सेवाओं के अस्थायी सदस्यों और तृतीय श्रेणी सेवाओं के सदस्यों में से, जो मंत्रिस्तरीय नियुक्तियाँ करते हैं और इसके कार्यालय में या इसके अधीनस्थ कार्यालयों में काम करते हैं: -

मेज़

नामांकन प्राधिकारी	*नामांकन की संख्या*
1	2
1. मुख्यमंत्री	2
2. अध्यक्ष, पंजाब विधान सभा	1
3. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	2
-1. मंत्री और राज्य मंत्री	प्रत्येक को 1)
5. उप मंत्री:	प्रत्येक को 1)
सी I मुख्य संसदीय सचिव एवं संसदीय सचिव	प्रत्येक को 1)
7. प्रमुख शासन सचिव	5
8. वित्तीय आयुक्त	प्रत्येक को 1)

बशर्ते कि राज्य में भारत के संविधान के अनुच्छेद 35 एस के खंड (1) के तहत जारी उद्घोषणा के संचालन के दौरान, राज्यपाल अस्थायी सदस्यों में से दो व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं-

"द्वितीय श्रेणी सेवा, और तृतीय श्रेणी सेवाओं के सदस्य, जो मंत्रिस्तरीय पद

धारण करते हैं, नियुक्तियाँ करते हैं और उनके कार्यालय में या उनके अधीनस्थ कार्यालयों में काम करते हैं।

(2) किसी व्यक्ति के संबंध में नामांकन सूची उप-नियम (1) के प्रावधानों के तहत तब तक प्रस्तुत नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति-

(a) एक पक्का हाथ है और उसने सरकार के अधीन 10 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है:

(b) नामांकन प्राधिकारियों द्वारा नाम प्रस्तुत करने की तिथि के तुरंत बाद नवंबर के पहले दिन चालीस वर्ष से कम आयु का था; और

(c) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक है;

(3) उम्मीदवारों के सेवा रिकॉर्ड के साथ उप-नियम (1) के तहत प्रस्तुत नामांकन रोल आयोग को भेजे जाएंगे जो ऐसे प्रत्येक उम्मीदवार की योग्यता पर विचार करेगा और ऐसे उम्मीदवारों की सिफारिश करेगा जो सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त माने जाएंगे।

(4) उप-नियम (3) के तहत आयोग द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों के नाम रजिस्टर ए-द्वितीय में उसी क्रम में दर्ज किए जाएंगे जिस क्रम में वे आयोग द्वारा अनुशंसित हैं।

चूँकि याचिकाकर्ता ने दस साल की सेवा पूरी कर ली है और अब 45 वर्ष की आयु और स्नातक है, उसका नाम श्री हरि राम, पीठासीन अधिकारी, बिक्री-कर न्यायाधिकरण द्वारा रजिस्टर ए-द्वितीय से पीसीएस (कार्यकारी शाखा) में नियुक्ति के लिए नामांकित किया गया है। , पंजाब। हालाँकि, सरकार के मुख्य सचिव। पंजाब ने साक्षात्कार आदि के लिए याचिकाकर्ता का नाम पंजाब लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा है क्योंकि यह माना गया था कि श्री हरि राम उस याचिकाकर्ता का नाम नामांकित करने में सक्षम नहीं थे जो बिक्री कर न्यायाधिकरण के कार्यालय में काम नहीं कर रहा था। न ही वह उसके अधीनस्थ किसी कार्यालय में कार्यरत था। पंजाब सरकार के मुख्य सचिव के इस निर्णय से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने परमादेश रिट जारी करने के

लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

(2) हमने विद्वान वकील को विस्तार से सुना है लेकिन उनके तर्क में कोई योग्यता नहीं मिली है। याचिकाकर्ता का तर्क दो प्रकार का है: पहला, कि श्री हरि राम, पीठासीन अधिकारी, बिक्री कर न्यायाधिकरण, पंजाब, एक आईएएस अधिकारी हैं और न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में शामिल होने से पहले, वह राज्य सरकार में वित्तीय आयुक्त थे। ; आज भी, उनके पास वित्तीय आयुक्त का पद है, हालाँकि वे अब वित्तीय आयुक्त के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, और बिक्री कर न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी हैं;

इसलिए, वह आवश्यक नामांकन करने में सक्षम है; और दूसरी बात, चूंकि याचिकाकर्ता वित्तीय आयुक्तों के सचिवालय में काम कर रहा है, इसलिए उससे अक्सर उत्पाद शुल्क और कराधान शाखा के कागजात संभालने की अपेक्षा की जाती है और, इस तरह, उसे निश्चित रूप से बिक्री कर के अधीनस्थ कार्यालय में काम करने वाला माना जा सकता है। न्यायाधिकरण.

(3) याचिकाकर्ता की दोनों दलीलें बिना किसी कानूनी आधार वाली हैं। सही स्थिति यह है कि याचिकाकर्ता वित्तीय आयुक्त सचिवालय की उत्पाद शुल्क और कराधान शाखा में कार्यरत है, जो वित्तीय आयुक्त कराधान और पंजाब सरकार के सचिव, उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के नियंत्रण में है, न कि पीठासीन अधिकारी के। . बिक्री कर न्यायाधिकरण. याचिकाकर्ता के संबंध में श्री हरि राम, आईएएस द्वारा की गई सिफारिशें उपरोक्त नियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं और, इस प्रकार, उनकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और विचार के लिए पंजाब लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा जा सकता है।

(4) वैधानिक सेवा नियमों पर बारीकी से नजर डालने पर, जो हालांकि वर्ष 1976 के हैं, लेकिन लगभग पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 1930 का पुनरुत्पादन हैं - चूंकि निरस्त कर दिया गया है, यह दिखाएगा कि भर्ती के सामान्य तरीके के अलावा सेवा, नियमों ने वित्तीय आयुक्त को अपने मंत्रिस्तरीय प्रतिष्ठान के एक सदस्य को सेवा में नामांकित करने की विशेष शक्ति प्रदान की थी। इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से वित्तीय आयुक्तों को सक्षम बनाना था। अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर, ऐसे नामांकन के लिए अपने अधीनस्थों में से एक का चयन करें जिसे वे ऐसी नियुक्ति के लिए उपयुक्त मानते हैं। चूंकि वर्तमान मामले में, श्री हरि राम आईएएस, जो अतीत में वित्तीय आयुक्त के कार्यालय का कार्यभार संभाल रहे थे और उनका निर्वहन कर रहे थे, अब बिक्री कर न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी का पद संभाल रहे हैं, वे अब इसके प्रभारी नहीं हैं। वित्तीय आयुक्त का कार्यालय या सचिवालय। वह क़ानून द्वारा बनाए गए एक स्वतंत्र अर्ध न्यायिक

न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी का पद संभाल रहे हैं, जो कि पंजाब जनरल सेल्स टैक्स अधिनियम की धारा 3-ए है। 1948. इसलिए यह कहना गलत होगा कि याचिकाकर्ता बिक्री कर न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में या उसके अधीनस्थ किसी कार्यालय में कार्यरत है, क्योंकि वित्तीय आयुक्त का सचिवालय किसी भी तरह से कार्यालय के अधीनस्थ नहीं है। बिक्री कर न्यायाधिकरण, पंजाब की।

(5) नतीजतन, हम रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना इसे खारिज कर देते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जितेश कुमार शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर, हरियाणा